**भारत सरकार**

**जल शक्ति मंत्रालय**

**पेयजल एवं स्वच्छता विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं॰ 2486**

**दिनांक 16.03.2020 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**देश के खुले में शौच मुक्त होने की स्थिति**

**2486. श्री संजय सिंहः**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत की खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) होने की स्थिति के संबंध में स्वच्छ भारत मिशन के आंकड़े और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के आंकड़े एक दूसरे का खण्डन करते हैं और भारत अब भी खुले में शौच मुक्त नहीं बना है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवम्बर, 2019 में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार पूरे भारत में लगभग 28.7 प्रतिशत ग्रामीण घरों में अब भी किसी भी प्रकार के शौचालय नहीं हैं और 3.5 प्रतिशत घरों में शौचालय तो हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता; और

(ग) भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए सरकार कौन–कौन से उपाय अपनाने की योजना बना रही है?

**उत्तर**

**जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री रतन लाल कटारिया)**

(क) से (ग) जुलाई-दिसम्बर, 2018 के दौरान "पेयजल, स्वच्छता, हाईजीन और आवासीय स्थिति" के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 76वें दौर में रिपोर्ट के भाग के रूप में यह स्वीकार किया गया है कि यह प्रमुख प्रश्न पूछे जाने के कारण प्रतिवादी की पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिक्रिया रही है कि उन्हें सरकार से कभी कोई लाभ मिला है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह संभव है कि सरकार से अतिरिक्त लाभ पाने की आशा में परिवारों ने यह स्वीकार नहीं किया हो कि उनके पास शौचालय सुविधाएं हैं। इस पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप, स्वच्छता कवरेज के बारे में आधी-अधूरी जानकारी मिली हो सकती है। ऐसी पूर्वाग्रहपूर्ण प्रतिक्रिया प्राय: तब देखने को मिलती है जब ऐसी मदों और मुद्दों पर सूचना माँगी जाती है जिनके लिए सरकारी वित्त पोषण वाली योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है।

पेयजल और स्वच्छता विभाग की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत 10.29 करोड़ से भी अधिक व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है। 02 अक्तूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार देश के सभी गाँवों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग निरंतर यह सुनिश्चित कर रहा है कि ओडीएफ स्थिति बनाई रखी जाए और कोई भी व्यक्ति इसमें छूट न जाए। राज्यों को सलाह दी गई है कि वे उन परिवारों की पहचान करें जिनके पास अभी भी शौचालय नहीं है और प्राथमिकता के आधार पर शौचालय के निर्माण में उनकी सहायता करें।